

सं०-03/परी०-B.T.S.C.-59/2019 453

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग
19, हार्डिंग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-03/2021, मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु द्वितीय चरण में काउंसलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाइट —www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (<http://103.112.252.140/FDO>) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर अथवा Email एवं जन्म तिथि डालकर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट/असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक—10.03.2022 से दिनांक—15.03.2022 तक आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें :-

1. कतिपय संस्थानों से निर्गत प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र के संबंध में काउंसलिंग दल द्वारा "संदेहास्पद/आयोग स्तर से जाँच" का उल्लेख अभ्यर्थियों के संचिका में किया गया है। वैसे सभी "संदेहास्पद/आयोग स्तर से जाँच" उल्लेखित अभ्यर्थियों के Remarks कॉलम में "Hold: प्रमाण-पत्र/अंक पत्र संदेहास्पद" अंकित कर, संबंधित संस्थानों के संबंध में जाँच किया जा रहा है।
2. ऑनलाइन आवेदन में कार्य अनुभव का दावा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
3. कार्यानुभव का अंक केवल संविदा के आधार पर बिहार सरकार के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों को अनुभव का लाभ नहीं दिया गया है।
4. अनुभव की गणना दिनांक-06.04.2021 तक की गई है। अनुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-05.05.2021 के पूर्व का निर्गत होने पर ही मान्य है।
5. ऑनलाइन आवेदन में जिस भी कोटि में दावा किया गया है, परन्तु काउंसलिंग में किसी अन्य कोटि का प्रमाण-पत्र दिया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
6. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पिछड़ा वर्ग (BC)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (EBC) कोटि में दावा किया है, परन्तु काउंसलिंग में दिनांक-05.05.2021 के पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित

प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।

7. वैसे महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा आरक्षित कोटि में दावा किया गया, परन्तु जाति अथवा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र पति के नाम से निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि में रखा गया है।
8. विज्ञापन में वर्णित अधिकतम उम्र सीमा पार कर गये अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से कार्यानुभव का अंक नहीं देने/कोटि परिवर्तन होने पर आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट:-
1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।
 2. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।

San
8.3.2022

सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।